जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. KRB/Res./2025-26/065 दिनांक : 08/12/2025

प्रतिष्ठा में, हार्दिक अभिनंदन
माननीय प्रधानमंत्री जी,
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषयः **वेदांता प्रबंधन संचालित भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) द्वारा पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में तथ्य–छिपाने, गलत–सूचना प्रस्तुत करने एवं EC Condition - X तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में–कठोर कार्रवाई किए जाने के संबंध में।**

———

मान्यवर,

उपर्युक्त विषय पर अत्यंत विनम्रता के साथ बाल्को/वेदांता द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन में किए गए गंभीर दस्तावेजीय धोखाधड़ी, तथ्यों को छुपाने तथा मंत्रालय एवं माननीय **NGT** को गुमराह करने संबंधी विस्तृत जानकारियां आपके संज्ञान हेतु सादर प्रस्तुत हैं :–

1. **NGT** के आदेश दिनांक 14.11.2022 में बालको /वेदांता के दो परस्पर–विरोधी भूमि–अधिपत्य के आँकड़े उजागर हुए हैं :–

(क) पैरा 17 : **BALCO** का दावा – कुल भूमि–अधिपत्यः 1099.91 हेक्टेयर (2718 एकड़) **'संयंत्र विस्तार हेतु कोई अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं'** – यह भी दावा।

(ख) पैरा 26 : **NGT** द्वारा सत्यापन : **BALCO** के वास्तविक अधिपत्य में केवल 805.54 हेक्टेयर क्षेत्र।

स्पष्ट विरोधाभास

NGT पैराग्राफ	**BALCO** द्वारा बताई भूमि	उल्लेख?
पैरा 17	1099.91 हेक्टेयर	स्वयं **BALCO** ने कहा
पैरा 26	805.54 हेक्टेयर	सत्यापन में पाया गया

बालको प्रबंधन द्वारा दोनों ही आँकड़े शपथ–पत्र/दस्तावेज के साथ सरकार एवं न्यायालय के समक्ष जमा किए गए।

यह EC Condition -X का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

2. तथ्य–छिपाने का उद्देश्य–स्पष्ट और गंभीर

(1) 1099 हेक्टेयर बताना (पैरा 17) प्रोजेक्ट को ब्राउन–फील्ड विस्तार के रूप में दिखाना अतिरिक्त भूमि/वनभूमि अनुपालनों से बचना।

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... दिनांक : .....

(2) केवल 805 हेक्टेयर बताना (पैरा 26) अनिवार्य 33 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट आवश्यकता को कृत्रिम रूप से कम दिखाने हेतु। जबकि उपलब्ध हरित क्षेत्र मात्र 254.04 हेक्टेयर है, एवं अपेक्षित 363.28 हेक्टेयर से **109.24 हेक्टेयर कम** है।

NGT ने यह भी दर्ज किया कि **BALCO** ने 291.71 हेक्टेयर = 241 एकड़ हरित क्षेत्र का दावा किया, जो वैज्ञानिक रूप से असंभव एवं गलत है।

यह सीधा misrepresentation, suppression of fact और false data submission के दायरे में आता है।

3. EC Condition–X और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। EC Condition-X का कहना है:

"यदि किसी भी प्रकार तथ्य छिपाए गए हों या गलत/मनगढ़ंत डेटा जमा किया गया हो, तो EC को रद्द किया जा सकता है तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई अनिवार्य होगी।"

अतः **BALCO** द्वारा प्रस्तुत दो विरोधाभासी आंकड़ेः

- झूठी सूचना
- तथ्य–छिपाव और
- भ्रामक डेटा प्रस्तुत करने के पूर्ण और स्पष्ट प्रमाण हैं।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर बालको प्रबंधन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 से 17 के तहत कार्रवाई अनिवार्य है।

4. 12 नवम्बर 2025 का सीमांकन–आगे और अधिक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है

दिनांक 12.11.2025 को पटवारी (हल्का 23, कोरबा) एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा **BALCO** के आवेदन पर खसरा क्रमांक 175, 178/1, 178/2, 179 (0.9759 हेक्टेयर) का सीमांकन किया गया। पंचनामे में 20 दुकानों को **"कब्जाधारी"** बताया गया, **"बेजा कब्जाधारी"** नहीं। यह महत्वपूर्ण अंतर आगे न्यायिक रूप से निर्णायक बन सकता है।

5. **BALCO** प्रबंधन के विरुद्ध हाल ही में दर्ज आपराधिक प्रकरण (**IPC** 420, 419, 467, 471)

BALCO के एक वरिष्ठ प्रबंधक पर न्यायालय में कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने का आपराधिक प्रकरण दर्ज है तथा अदालत द्वारा **Arrest Warrant** जारी किया जा चुका है। यह **BALCO** की documentation fraud culture का स्थापित पैटर्न दर्शाता है।

NGT में प्रस्तुत गलत भूमि–अधिपत्य आँकड़े – इसी श्रृंखला का बड़ा उदाहरण हैं।

6. महत्वपूर्ण प्रश्न – 805 हेक्टेयर पर सीमांकन हुआ या 1099 हेक्टेयर पर?

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....

दिनांक : .....

- विशेषकर जब **BALCO** दुकानदारों को हटाने की तैयारी में है।
- सरकार/प्रशासन को यह स्पष्ट करना अनिवार्य है:
- सीमांकन 805 हेक्टेयर वाली भूमि पर हुआ?
- या 1099 हेक्टेयर वाले दावे पर आधारित क्षेत्र में?

दोनों में से एक तथ्य अवश्य झूठा है–यह स्थिति सीधे **बालको प्रबंधन – सरकारी** दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।

7. दुकानदारों और स्थानीय व्यवसायियों का प्रश्न–**"हम किस जोन में आते हैं?"**
जब तक सरकार भूमि–अधिपत्य की वास्तविकता सार्वजनिक नहीं करती – किसी भी विस्थापन/कार्रवाई को न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

8. **हमारा विशेष आग्रह**

उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में आपसे विशेष आग्रह है कि–

(क) प्रकरण को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (**CECB**) को भेजते हुए Environmental Clearance को रद्द/निलंबित करने का संस्तुति आदेश जारी किया जाए।

(ख) बालको – वेदांता के जिम्मेदार अधिकारियों पर **Environmental Protection Act, 1986** के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाए।

(ग) **BALCO** की सभी विस्तार परियोजनाओं के पूर्ण तथ्य/सत्यापन, पुनरीक्षण एवं स्वतंत्र निरीक्षण कराया जाए।

सधन्यवाद,

जयसिंह अग्रवाल

संलग्नः
माननीय **NGT** भोपाल पीठ का आदेश – **दिनांक 14.11.2022**

प्रतिलिपि :

1. माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,
2. माननीय पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,
3. चेयरमैन, एनजीटी, भोपाल,
4. कलेक्टर, कोरबा
5. पर्यावरण अधिकारी, कोरबा

Scanned with OKEN Scanner